<u>न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), रामसनेहीघाट, कोर्ट सं०- 14, बाराबंकी</u>

मूलवाद सं०-84/1994

CNR No UPBB180000031994

इस्लाम अली (मृतक) आदि बनाम अब्दुल हसीब आदि

<u>09.09.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं० 1/1 व 2 उपस्थित।

प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र क-139 मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी सं० 1 मृतक अब्दुल हसीब के कायम मुकामान प्रतिवादी सं० 1/1 ता 1/3 पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा पैरवी सम्मन किये जाने पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि प्रतिवादिनी सं० 1/3 जमरूद अफसां का देहान्त हो गया है अपनी ससुराल में रह रही थी। प्रतिवादी सं० 1/1 मृतक का सगा भाई है तथा प्रतिवादिनी सं-1/2 मृतक की बहन है परन्तु जानबूझकर उक्त मृत्यु की सूचना न्यायालय को नहीं दी। मृतक मजकूर के पति बदरूद्दीन एवं एक पुत्र मोहम्मद फरहान व तीन पुत्रियां तन्जीम बानो, तहरीम बानो व फरहीन बानो उनके जायज एवं विधिक वारिसान हैं। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि वादीगण द्वारा हुई देरी की क्षमा देते हुए तथा असर अबेटमेंट समाप्त करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर वाद पत्र में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करें।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रतिवादी सं० ½ व 2 की ओर से आपत्ति ग-142 प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि उक्त वाद में प्रतिवादी सं० 1/1 की मृत्यु हो गयी जिसकी सूचना प्रतिवादी सं० 2 की ओर से न्यायालय पर प्रार्थना पत्र क-138 द्वारा पूर्व में ही दिया जा चुका था। प्रार्थना पत्र में कायम मुकामी की आयु नहीं अंकित की गयी है तथा मृतक की मृत्यु की तिथि भी नहीं अंकित की गयी है। प्रार्थना पत्र में 1/3/3 व 1/3/5 नाबालिग दर्ज की गयी है जिसके बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की कृपा करें।

प्रतिवादिनी सं० 1/3 जमरूद अफसां का देहान्त होने का कथन किया गया है। कथन के समर्थन में शपथ पत्र दिया गया है। शपथ पत्र में अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है। जहां तक आपत्ति की प्रश्न है तो उसकी पूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः वारिसान प्रार्थना पत्र क-139 मु० 200/- रूपये हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वारिसान प्रार्थना पत्र क-139 मु० 200/- रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। तदनुसार आपत्ति ग-142 निस्तारित की जाती है। हर्जा अदायगी उपरान्त संशोधन अन्दर 15 दिन करें।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 27.09.2024 को पेश हो।

(प्रीति भास्कर)

सिविल जज (जू०डि०),रामसनेहीघाट,

न्यायालय सं०-14, बाराबंकी।